RRS/HORTI/Bur'a/25/34-183
15.3.2025

क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी), बुड़िया, यमुनानगर

निविदा सूचना

फलदार नर्सरी में विभिन्न फलों के पौधों को तैयार करने हेतु चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय के उद्यान विभाग के क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी) केन्द्र, बुड़िया, यमुनानगर बन्द लिफाफा निविदा के तहत ठेकेदारों को दिनांक 25.03.2025 को 11.30 प्रातः तक निविदा भरने की निम्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार आमन्त्रित करता है

1– ठेकेदार को खुली बोली में भाग लेने के लिए धरोहर राशि के रूप में 1000/– एक सप्ताह के भीतर जमा करवानी होगी, जिसे बोली लग जाने के बाद वापस दे दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा धरोहर राशि पर कोई ब्याज़ नहीं दिया जाएगा।

2– लिफाफा बन्द बोली देने के लिए टैण्डर फार्म कार्यालय से कार्यालयी समय 9.00 बजे प्रातः से 4.30 सांय तक 100/–रूपये व 18 प्रतिशत् जी.एस.टी. (कुल राशि 118/–) देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

3– नर्सरी के लिए सभी प्रकार की कृषि सामग्री जिसमें लेबर भी शामिल है, ठेकेदार द्वारा दी जाएगी।

4– ठेकेदार द्वारा फलदार पौधों की नर्सरी का प्रबन्धन किया जाएगा और विभिन्न फलदार पौधों जैसे आम, लीची, आड़ू, अलूचा व लोकाट इत्यादि के 10500 पौधे प्रति वर्ष तैयार करने होंगे। ठेकेदार द्वारा कोई भी फलदार पौधा नहीं बेचा जाएगा।

5– तैयार फलदार पौधों को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाएगा। बेचने के बाद 50 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाएगी और 50 प्रतिशत् राशि ठेकेदार को देय होगी।

6– ठेकेदार द्वारा फलदार पौधों की उचित देखभाल करनी होगी व यह ध्यान रखना होगा कि पौधे कीटों व बीमारियों से ग्रस्त न हों। केवल अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे ही बेचे जाएंगे।

7– नर्सरी की अनुचित देखभाल के मामले में, विश्वविद्यालय के पास ठेके को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

8– ठेकेदार अपनी लेबर द्वारा नर्सरी का प्रबन्धन फसल की कटाई के बाद विभिन्न वर्षों जैसे 2025, 2026 और 2027 (1 मार्च 2025 से 29 फरवरी 2028) तक कर सकता है।

9– ठेकेदार दवारा या ठेकेदार की लेबर दवारा पेड़ों को नुक्सान पहुँचाने व विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नकुसान पहुँचाने पर विश्वविद्यालय द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।

10– ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित नियमों की कठोरता से अनुपालना करनी होगी :

अ) ठेकेदार द्वारा अपने अधीन लेबर/कर्मचारियों को हर हालत में प्रत्येक माह की 7 तारीख़ तक तन्ख्वाह/दिहाड़ी देनी होगी।

ब) ठेकेदार द्वारा लेबर/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी मूल्य कानून 1948 के तहत् तन्ख्वाह/दिहाड़ी देनी होगी।

स) ठेकेदार द्वारा लेबर/कर्मचारियों को तन्ख्वाह/दिहाड़ी की स्लिप देनी होगी।

11– ठेकेदार को ई.एस.आई और प्रोविडैंट फंड कानूनों की भी अनुपालना करनी होगी। यदि इन नियमों की पालना नहीं की गई तो इसके लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा।

12– ठेकेदार द्वारा अपनी कुटेशन में यह लिखकर देना होगा कि उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा इस कार्य के लिए रेट कुटेशन में भरकर नहीं दिए हैं।

13– ठेके की अन्य शर्तें वही रहेंगी जैसे सफल बोली पर ठेकेदार को 10 दिन के भीतर 100/– के बोण्ड पेपर पर ठेके के अनुमोदित एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके देने होंगे। ऐसा न करने पर ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

14– ठेकेदार को अनुबंधित लेबर (नियन्त्रण और उन्मूलन) कानून, 1970 के नियमों की अनुपालना करनी होगी और उसे लेबर को न्यून्तम मजदूरी/दिहाड़ी देनी होगी। विश्वविद्यालय इस संदर्भ में किसी प्रकार जिम्मेवारी नहीं होगी।

15– ठेकेदार दवारा लेबर को चोट लगने/हाथ–पाँव टूटने/मृत्यु या खोने के समय पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए, उस समय जो नियम लागू होगा, उसके अनुसार उसे मुआवज़ा देना होगा। इस तरह के मामले में विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

16– विश्वविद्यालय ठेकेदार को किसी प्रकार के कृषि उपकरण जैसे कस्सी, कसोला या दराती उपलब्ध नहीं करवाएगा। उसे प्रक्षेत्र प्रबन्धक/कृषि निरीक्षक/शोध सहयोगी/श्रम प्रभारी के कार्यस्थल पर समय–समय पर दिए दिशानुसार प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी की संतुष्टता पर कार्य करना होगा।

17– उपरोक्त ठेके के किसी भी नियम व शर्तों की अवहेलना करने पर ठेके को निरस्त कर दिया जाएगा और ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जाएगा। शेष कार्य को दोषी ठेकेदार के जोख़िम पर करवाया जाएगा और इसका खर्चा दोषी ठेकेदार से लिया जाएगा।

18– विश्वविद्यालय के पास पर्यवेक्षण का अधिकार होगा। लेबर को स्थानांत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय दवारा किसी प्रकार का परिवहन उपलब्ध नहीं करवया जाएगा।

19– इच्छित पार्टी स्थान का अवलोकन कर सकती है और बोली का मूल्य लगाने से पहले प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी, क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी), बुड़िया, जिला यमुनानगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से (9812490456) संपर्क कर सकती है।

20– विभिन्न पार्टियों में किसी प्रकार के विवाद होने पर अनुसंधान निदेशक की मध्यस्था में समाधान किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। इस स्थिति में समाधान के लिए भारतीय मध्यस्थता कानून को लागू किया जाएगा।

21– किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का विषय यमुनानगर की कानून अदालत के अधीन होगा।

टैण्डर फार्म मिलने का तारीख : 22.03.2025 9.00 प्रातः बजे से 4.30 सायं तक

टैण्डर फार्म भरने की अंतिम तारीख : 25.03.2025 प्रात : 11.30 तक

टैण्डर खोलने की तारीख : 25.03.2025

टैण्डर खोलने का समय : 1.00 बजे दोपहर

प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी
क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी), बुड़िया,
जिला यमुनानगर,
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय

प्रति –

1– कम्प्यूटर सैक्शन इंचार्ज, मौलिक एवं मानविकी विज्ञान महाविद्यालय, निविदा सूचना को वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ
2– नर्सरी इंचार्ज, छछरौली
3– सभी सरकारी नोटिस बोर्ड, बुड़िया
4– जिला बागवानी अधिकारी, यमुनानगर
5– अनुसंधान निदेशालय, कार्यालय, सूचनार्थ
6– वित्त नियन्त्रक कार्यालय, सूचनार्थ
7– टैण्डर ओपनिंग/ऑक्शन कमेटी
(1) अनुसंधान निदेशक/प्रतिनिधि (श्रेणी – 1 से नीचे न हो)
(2) वित्त नियन्त्रक/प्रतिनिधि (श्रेणी – 1 से नीचे न हो)
(3) उधान विभाग प्रमुख/ प्रतिनिधि (श्रेणी – 1 से नीचे न हो)
(4) कृषि आर्थिकी विभाग/ प्रतिनिधि (श्रेणी – 2 से नीचे न हो)
(5) प्रधान वैज्ञानिक प्रभारी, क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी), बुड़िया
(6) वरीष्ठ संयोजक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दामला
8– नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय अनुसंधान (बागवानी) केन्द्र, बुड़िया

Tender will be opened in the chamber of Prof. & Head Dept. of Horticulture on 25.3.25 at 1:00 PM.
15.3.25